

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

संमस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक-प. 10 (1)कार्मिक/क-2/96

जयपुर, दिनांक 29.07.2010

परिपत्र


विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न पदों की सीधी भर्ती हेतु अर्थनाएँ।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.02.2007 द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए परीक्षा आयोजन हेतु पूर्व में परिपत्र दिनांक 29.08.1998 के परिशिष्ट-क के क्रम संख्या-1 पर निर्धारित सारणी में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से संशोधन कर समय सारणी को निर्धारित किया गया था।

जारी परिपत्र दिनांक 19.02.2007 द्वारा निर्धारित समय सारणी में आयोग की सहमति से निम्न प्रकार संशोधन कर सारणी को निर्धारित किया जाता है:-

माह जिसमें विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त कर आयोग को अर्थना भिजवाई जानी है।	माह जिसमें आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जानी है।	माह जिसमें प्राथमिक परीक्षा आयोजित की जानी है।	माह जिसमें मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी है।	माह जिसमें नियुक्ति हेतु अभिस्तावना राज्य सरकार को भिजवाई जानी है।
मई	जून	सितम्बर	दिसम्बर/जनवरी	मई/जून

अतः सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि कृपया उक्त समय-सारणी की पालना सुनिश्चित करें।


(ज. गोविन्द शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)
5. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।

-सावल संवा अपील अधीकरण, जयपुर ।
9. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त, जयपुर ।
 10. शासन उप सचिव, कार्मिक(ख) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
 11. रक्षित पत्रावली।

33/2010


प्रमुख शासन सचिव